



महिला जननांग विकृति/कतरन

महिला जननांग विकृति/कतरन क्या होती है?

बिना किसी चिकित्सीय कारण के महिला के जननांग क्षेत्र को जानबूझ कर काटना या इसमें फेरबदल करने को महिला जननांग विकृति/कतरन कहते हैं। इसके कई नाम होते हैं, जिनमें कतरन, महिला परिच्छेदन और धार्मिक महिला सर्जरी जैसे नाम शामिल हैं। यह महिला के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है और ऐसा करना आवश्यक नहीं है।

यदि आपको या आपके किसी जानकार को खतरा है तो पुलिस को **000** पर फोन करें।

ऑस्ट्रेलिया की पुलिस सुरक्षित है और इस पर भरोसा किया जा सकता है।

निःशुल्क व गोपनीय परामर्श और जानकारी के लिए 1800RESPECT को **1800 737 732** पर फोन करें।

यदि आपको एक निःशुल्क दुभाषिण की ज़रूरत है तो **131 450** पर फोन करें।

ऑस्ट्रेलिया में चिकित्सीय सहायता और समर्थन उपलब्ध है।

यदि आप इनमें से किसी कार्यविधि से प्रभावित हुई हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में निःशुल्क स्वास्थ्य देखरेख और सहायता तक पहुँच प्राप्त कर सकती हैं। डॉक्टर, नर्स, अन्य चिकित्सा व्यवसायी और अध्यापक आपकी सहायता कर सकते हैं।

यदि आप बच्चा पैदा करने की योजना बना रही हैं, तो आप किसी डॉक्टर, नर्स या अन्य चिकित्सा व्यवसायी से बात करना चाह सकती हैं ताकि जब आप गर्भवती हों और जब आपके बच्चा हो तो आप अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर सकें।

महिला जननांग विकृति/कतरन करना ऑस्ट्रेलिया में एक गंभीर अपराध है।

महिला जननांग विकृति/कतरन ऑस्ट्रेलिया में गैर-कानूनी है। इसमें कार्यविधि करने के लिए किसी व्यक्ति को विदेश भेजे जाना, अथवा इसे कराने के काम को किसी के लिए आसान बनाना, इसमें उसका समर्थन करना या प्रोत्साहित करना शामिल है।

इन अपराधों को करने वाले व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है, चाहे वह व्यक्ति पुरुष हो या महिला।

यदि आप इनमें से किसी कार्यविधि से प्रभावित हुई हैं, तो आपको सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और आपको ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत दंड नहीं दिया जाएगा।

ऐसी अन्य सेवाएँ और संसाधन हैं जो सहायता कर सकते हैं।

आपको महिला जननांग विकृति/कतरन से सम्बन्धित जानकारी महिला जननांग विकृति/कतरन जागरूकता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा टूलकिट (National Education Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awareness) की वेबसाइट www.netfa.com.au पर मिल सकती है।

1800RESPECT ऑस्ट्रेलिया की यौन उत्पीड़न, पारिवारिक और घरेलू हिंसा परामर्शी सेवा है। यह निःशुल्क, गोपनीय टेलीफोन और ऑनलाइन सलाह एवं सूचना प्रदान करती है। सलाहकार आपकी बात सुनेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे और वे आपको आपके स्थानीय क्षेत्र में अन्य समर्थन सेवाओं को रेफर कर सकते/सकती हैं।

1800 737 732 पर फोन करें या www.1800RESPECT.org.au पर **1800RESPECT** वेबसाइट देखें।

यदि आपको, या आपकी किसी जानकार को इस कार्यविधि के लिए विदेश ले जाया गया है या आपको लगता है कि इस कार्यविधि के लिए उन्हें देश से बाहर ले जाए जाने का खतरा है, तो 24/7 दूतावास संबंधी आपातकालीन केन्द्र (Consular Emergency Centre) को **1300 555 135** (ऑस्ट्रेलिया से) या **+61 2 6261 3304** (विदेश से) पर फोन करें अथवा सबसे करीबी ऑस्ट्रेलियाई विदेशी दूतावास से **dfat.gov.au** पर संपर्क करें।

क्या आपको दुभाषिए की ज़रूरत है?

अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service - TIS) को **131 450** पर फोन करें। TIS का दुभाषिया आपको अन्य सेवाओं के साथ संचार करने में मदद दे सकता है, परन्तु TIS परामर्शी सेवा प्रदान नहीं करती है। सभी कॉल्स निःशुल्क और गोपनीय होती हैं।